संख्या-222/2015/1588आ.न.यो./9-8-15-21आ.न.यो(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगर पालिका परिषदों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों का कोषागार से आहरण न होने के कारण पुन: बजट का आवंटन विषयक।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अन्तर्गत विभिन्न नगर पालिका परिषदों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा सम्बन्धित नगर पालिका परिष्दों के द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं से चयनित कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत की गयी थी, के सम्बन्ध में नागर निकायों द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 के अन्तर्गत चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाने एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण शासन द्वारा विकास कार्यो हेतु निर्गत की गयी धनराशि का समय से कोषागार से आहरण न हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर धनराशि लैप्स हो गयी है, को पुन: आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण लैप्स धनराशि को पुन: निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरांत निम्नलिखित 02 नागर निकायों को पुर्व में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्गत की गयी धनराशि का कोषागार से आहरण न होने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के आधार पर पुन: वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार आदर्श नगर योजना के लिए प्राविधानित बजट से धनराशि निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रमांक	**निकाय/जनपद का नाम**	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि**	**पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि, जो लैप्स हो गयी है।**	**निर्गत की जाने वाली धनराशि**
1	2	3	4	5	6
1	न.पा.प. बिलारी, जनपद-मुरादाबाद	175/2015/602आ.न.यो./9-8-2015-11आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 31.03.2015	374.00	187.00	100.00

http://shasanadesh.up.nic.in

2	न.पा.प. धामपुर, जनपद-बिजनौर	मूल शासनादेश संख्या- शासनादेश संख्या-727 आ.न.यो./9-8-2013-4(3)आ.न.यो./2013 दिनांक 04.7.2013 के क्रम में द्वितीय किश्त का शासनादेश संख्या-15/1539आ.न.यो./9-8-13-2आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 30.12.2013	33.00	16.50	06.50
		4/1472आ.न.यो./9-8-2013-04आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 09.01.2014	40.00	20.00	07.00
		मूल शासनादेश संख्या-4/1472आ.न.यो./9-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 09.1.2014 के क्रम में द्वितीय किश्त का शासनादेश संख्या-55/234आ.न.यो./9-8-14-2आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 18.02.2014	40.00	20.00	07.00
		64/219आ.न.यो./9-8-14-11आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 01.03.2014	25.00	12.50	05.50
		योग-	512.00	256.00	126.00

(रूपये एक करोड़ छब्बीस लाख मात्र)

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को नागर निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.3.2015 में निर्धारित व्यवस्थानुसार आगामी 07 दिवस के अन्दर ई-पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित निकायों के बचत खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।

4. यह भी सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में मूल शासनादेश/द्वितीय किश्त के शासनादेश द्वारा निर्गत की गयी धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.12.2015 तक एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में मूल शासनादेश/द्वितीय किश्त द्वारा निर्गत की गयी धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.09.2015 तक के लिए निर्धारित है। अत: उक्त अवधि में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, नगरीय निकाय/शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्ब 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-222/2015/1588(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in